

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266540 CG-DL-E-30092025-266540

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] No. 270] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 2025/आश्विन 5, 1947 NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2025/ASVINA 5, 1947

> वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग (व्यापार उपचार महानिदेशालय) जांच की शुरूआत की अधिसूचना नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2025

मामला संख्याः -एडी (ओआई)-29/2025

विषय: यूरोपीय संघ और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बीआईएस (2,2,6,6-टेट्रामेथिल-4-पेरिडिल) सेबैकेट (यूवी 770) के आयात की पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. फा.सं. 06/32/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षिति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सीएसटीएल) और क्लीन फिनो-केम लिमिटेड (सीएफसीएल) (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. और यूरोपीय संघ (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बिस (2,2,6,6-टेट्रामेथिल-4-पाइपरिडिल) (जिसे आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

6488 GI/2025 (1)

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के पाटन ने घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से बाधित किया है। तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

# क. विचाराधीन उत्पाद

- 3. विचाराधीन उत्पाद बिस (2,2,6,6-टेट्रामेथिल-4-पाइपरिडिल) सेबैकेट है, जिसे यूवी 770 या हिन्डर्ड एमाइन्स लाइट स्टेबलाइजर 770 (एचएएलएस 770) के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद एक कम आणविक भार वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र  $C_{28}H_{52}N_2O_4$  है और इसकी सीएएस संख्या 52829-07-9 है। इसका रंग रंगहीन से लेकर हल्के पीले रंग का होता है।
- 4. विचाराधीन उत्पाद एक यूवी प्रकाश स्टेबलाइजर है, जिसका उपयोग पराबैंगनी विकिरण या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से पॉलिमर के क्षरण को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे उत्पादों का जीवनकाल बढ़ जाता है। विचाराधीन उत्पाद को यूवी स्टेबलाइजर 770 या लाइट स्टेबलाइजर 770 भी कहा जाता है, और यह कई ब्रांड नामों के तहत उपलब्ध है, जिनमें टिनुविन 770, सबोस्टैब 77, रियासोर्ब 770 और सनोविन 770 शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- 5. संबद्ध सामान पॉलीइथाइलीन या पॉलीप्रोपाइलीन वाहक रेजिन में फैली हुई हैं जिनका उपयोग मास्टरबैच या अन्य यौगिकों में किया जा सकता है। संबद्ध सामानों का उपयोग लचीले मध्यवर्ती थोक कंटेनर (एफआईबीसी) बैग बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टेप और फिल्म जैसे उच्च सतह क्षेत्रों और कार बंपर और कार के दरवाज़े के पैनल बनाने के लिए पॉलीप्रोपाइलीन/पॉलीमर मोल्डिंग पर भी किया जाता है।
- 6. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची । के अध्याय 29 और अध्याय 38 के अंतर्गत वर्गीकृत है, और एचएस कोड 2933 39 90 और 3812 39 90 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- 7. वर्तमान जाँच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियां दें और इस जाँच की शुरुआत की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीसीएन यदि कोई हो, प्रस्तावित करें।

## ख. समान वस्त्

8. संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में तकनीकी विशेषताओं, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों के तुलनीय विशेषताएँ हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, वर्तमान जाँच की शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के समान वस्तु माना जा रहा है।

# ग. घरेलू उद्योग और आधार

- 9. यह आवेदन-पत्र क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और क्लीन फिनो-केम लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि देश में समान वस्तु का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है। आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के निर्यातकों या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबद्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने जाँच की अविध के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- 10. उपर्युक्त के मद्देनजर और आवेदकों द्वारा दायर आवेदन-पत्र की जांच करने के बाद, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और नियम 2(ख) के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' है तथा आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

### घ. संबद्ध देश

11. यह आवेदन-पत्र यूरोपीय संघ ("ईयू") और चीन जनवादी गणराज्य ("चीन जन.गण.") से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

## ड. जाँच की अवधि

12. आवेदकों ने जाँच की अवधि के रूप में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का प्रस्ताव रखा है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि समान वस्तु का उत्पादन 2022-23 से शुरू हो गया है और उन्होंने क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से 2022-23, 2023-24 की अवधि और जाँच अवधि की सूचना प्रदान की है। तथापि, नियमावली के नियम 5(3क) के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा मानी गई जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है। क्षति अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जाँच की अवधि शामिल है।

# च. कथित पाटन का आधार

# चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

- 13. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि, जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
- 14. अतः, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना है और भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य की गणना आवेदकों की अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसे उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

# यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

- 15. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके पास यूरोपीय संघ में घरेलू बिक्री कीमत या उत्पादन की वास्तविक लागत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी।
- 16. आवेदकों ने यूरोपीय संघ के एक देश, अर्थात् जर्मनी, के उत्पादकों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जो उनके पास उपलब्ध यथोचित जानकारी पर आधारित है। इस प्रयोजन के लिए, आवेदकों ने सेबासिक एसिड के आयात मूल्य और जर्मनी, जो यूरोपीय संघ का एक देश है, में लागू बिजली दरों पर भरोसा किया है, जैसा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी में बताया गया है। आवेदकों ने घरेलू उद्योग के उपभोग मानदंडों के आधार पर बिजली के उपभोग मानदंडों पर विचार किया है। अन्य कच्चे माल और उपयोगिताओं की लागत को घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर माना गया है। निर्धारित लागत में विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ा गया है।
- 17. दावा किया गया सामान्य मूल्य वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना जाता है।

# निर्यात कीमत

18. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम के आंकड़ों में सूचित किए गए अनुसार संबद्ध सामानों की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, बंदरगाह खर्चों, अंतर्देशीय भाड़ा, और ऋण लागतों के निमित्त कीमत समायोजन किए गए हैं ताकि कारखानागत निर्यात कीमत निकाली जा सके।

## <u>पाटन मार्जिन</u>

19. संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों के संबंध में न्यूनतम स्तर से अधिक है। इस प्रकार, पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

## छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह स्थापित करते हैं कि संबद्ध आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को भौतिक रूप से मंद कर दिया है। निरपेक्ष रूप से संबद्ध आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में उत्पादन शुरू होने के कारण संबद्ध आयातों में सापेक्ष रूप से गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है और उसे घाटे में बेचने के लिए मजबूर किया है। मूल्य में कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि ऐसा बाजार में नए उत्पादक के रूप में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पहुँच मूल्य से अधिक कीमत वसूलने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण है। घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री कीमतों, क्षमताओं और बिक्री मात्रा को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं के कम उपयोग के कारण नुकसान उठा रहा है। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि भारतीय माँग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी स्थिर रही है। घरेलू उद्योग को क्षति अविध के दौरान घाटा और नकद हानि हुई है और जाँच अविध में भी वह लाभ-हानि की स्थिति में नहीं पहुँच पाया है। घरेलू उद्योग को अपने निवेशों पर नकारात्मक प्रतिफल और लाभप्रदता मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक मंदता के रूप में क्षति पहुँचने के पर्याप्त प्रथम दृश्या साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जाँच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

# ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन के संबंध में उसमें प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य, संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा उस क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर संतुष्ट होने पर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

## झ. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

## ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

- 23. सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in. और consultant-dgtr@nic.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-ऐक्सल फार्मेट में हैं।
- 24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादतकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है तािक वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें। सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार दायर की जानी चाहिए।
- 25. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच की शुरुआत द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार वर्तमान जांच से संगत अनुरोध भी कर सकता है।
- 26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- 27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी अन्य अद्यतन सूचना के लिए प्राधिकारी की सरकारी वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें।

# ट. समय सीमा

- 28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in और dir16-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर दस्तावेज़ों का अगोपनीय रूपांतर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के राजनयिक उपयुक्त प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
- 29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध दायर करें।
- 30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

# ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

- 31. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।
- 32. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होने चाहिएं। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 33. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचनाएं निहित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
- 34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की एक प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानत: सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक्ड आउट किया गया हो, जहां सूचीकरण संभव न हो, और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सार किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।
- 35. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्रदान किया जाना चाहिए।
- 36. हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार दस्तावेज़ों के अगोपनी रूपांतर के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुरोधों में दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।
- 37. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
- 38. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट नहीं हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना

- को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
- 39. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

## ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उनमें अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर उनके अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को इमेल करने के लिए अपलोड की जाएगी। अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करने में विफलता से हितबद्ध पक्षकार सहयोगी माने जा सकते हैं।

## ढ. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अविध के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वह उचित समझे।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## **Department of Commerce**

(Directorate General of Trade Remedies)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2025

Case No. AD (OI) - 29/2025

# Subject - Initiation of anti-dumping investigation into imports of BIS (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Peridyl) Sebacate (UV 770) originating in or exported from the European Union and China PR

- 1. **F. No. 06/32/2025-DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or "AD Rules"), Clean Science and Technology Limited (CSTL) and Clean Fino-Chem Limited (CFCL) (hereinafter also referred to the as the "applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for the initiation of an anti-dumping investigation concerning the imports of Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidyl) (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration") originating in or exported from China PR and the European Union (hereinafter referred to as "subject countries")
- 2. The applicants have alleged that dumping of imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries has materially retarded the establishment of the domestic industry. Accordingly, the applicants have requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

# A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- 3. The product under consideration is Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl) Sebacate, also known as UV 770 or Hindered Amines Light Stabilizer 770 (HALS 770). The product under consideration is a low molecular weight organic compound with chemical formula C<sub>28</sub>H<sub>52</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, having CAS number 52829-07-9. It is colourless to pale yellow in colour.
- 4. The product under consideration is a UV light stabiliser, used to prevent degradation of polymers from exposure to ultraviolet radiation or sunlight, which result in increased life of products. The product under consideration is also referred to as UV Stabilizer 770 or Light Stabilizer 770, and is available under multiple brand names, including but not limited to Tinuvin 770, Sabostab 77, Riasorb 770 and Sunovin 770.
- 5. The subject goods are dispersed in polyethylene or polypropylene carrier resins which may be used in masterbatches or other compounds. Subject goods are used to produce Flexible Intermediate Bulk Container (FIBC) bags. It is also used on high surface areas such as tapes and films and polypropylene/ polymer mouldings for making car bumpers and car door panels.
- 6. The product under consideration is classified under Chapter 29 and Chapter 38 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975, and are imported under the HS Codes 2933 39 90 and 3812 39 90. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.
- 7. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

#### B. LIKE ARTICLE

8. The subject goods exported from the subject countries are identical to the goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry have comparable characteristics to the subject goods imported from the subject countries in terms of technical specifications, physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as 'like article' to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

#### C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

- 9. The application has been filed by Clean Science and Technology Limited and Clean Fino-chem Limited. The applicants have submitted that there are no other domestic producers of the like article in the country. The applicants have also submitted that they are not related to exporters of subject goods in the subject countries or importers of product under consideration in India. Further, the applicants have not imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation.
- 10. In view of the above and after examination of the application filed by the applicants, the Authority prima facie notes that the applicants account for major proportion of total Indian production and constitute 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

## D. SUBJECT COUNTRIES

11. The application has been filed in respect of dumped imports of the product under consideration from the European Union ("EU") and the People's Republic of China ("China PR").

### E. PERIOD OF INVESTIGATION

12. The applicants have proposed 1st April 2024 to 31st March 2025 as the period of investigation. The applicants have submitted that production for like article has commenced from 2022-23 and have provided information for the period 2022-23, 2023-24 and the period of investigation for the purpose of injury analysis. However, in accordance with the provisions of Rule 5(3A) of the Rules, the period of investigation considered by the Authority is from 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury period covers 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

#### F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

#### Normal value for China PR

13. The applicants have claimed that China PR must be treated as a non-market economy and the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods as per Para 8(3) of Annexure-I of the Rules. The applicants have claimed that, unless producers from China PR show that market economy conditions prevail, normal value should be determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules.

14. Therefore, for the purpose of the present initiation, the Authority has considered China PR to be a non-market economy and determined normal value for China PR based on price payable in India. The normal value has been constructed based on estimated cost of production of the applicants, duly adjusted for selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

### Normal Value for European Union

- 15. The applicants have claimed that it did not have access to information regarding the domestic selling price or actual cost of production in the European Union.
- 16. The applicants have determined normal value based on the cost of production of producers in one of the countries in EU, that is, Germany, based on information reasonably available with them. For this purpose, the applicants have relied on import price of Sebacic acid and the power rates applicable in Germany which is one of the countries in the EU, as per publicly available information. The applicants have considered consumption norms for power based on consumption norm of the domestic industry. The cost of other raw material and utilities has been considered based on the cost of the domestic industry. An addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits have been made to the cost determined.
- 17. The normal value claimed is considered appropriate for the purpose of initiation of the present investigation.

### **Export Price**

18. The export price of the subject goods from the subject countries have been determined by considering CIF price of the subject goods, as reported in DG Systems data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight and credit costs, to arrive at the ex-factory export price.

### **Dumping margin**

19. The normal value and the export price of the subject goods have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that dumping margin is above the *de-minimis* level with respect to the subject goods imported from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

### G. INJURY AND CAUSAL LINK

20. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished prima facie evidence establishing that the subject imports have materially retarded the establishment of the domestic industry in India. There has been a significant increase in subject imports in absolute terms. It has been submitted that the subject imports have declined in relative terms on account of commencement of production in India. It is noted that the landed price is below the cost of sales of the domestic industry. It has also been submitted that subject imports have suppressed the prices of the domestic industry and forced it to sell at losses. The price undercutting is negative. It has been claimed by the domestic industry that this is due to the inability of the domestic industry to charge a price higher than landed price for attracting customers as a new producer in the market. The domestic industry has not been able to achieve its projected sales prices, capacities and sales volume. As result, the domestic industry is suffering due to underutilized capacities. Further, it has been claimed that despite having capacities to cater to Indian demand, the market share of the domestic industry has been stagnated. The domestic industry has suffered from losses and cash losses throughout the injury period and is unable to break even in the period of investigation. The domestic industry has incurred negative returns on its investments and negative growth in its profitability parameters. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry in the form of material retardation by the dumped imports from the subject countries, justifying initiation of an anti-dumping investigation.

#### H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicants and on being satisfied based on the *prima facie* evidence submitted therein, concerning the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under

consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### I. PROCEDURE

22. Principles as given in Rule 6 of the Rules shall be followed for the present investigation.

### J. SUBMISSION OF INFORMATION

- 23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses <u>jd11-dgtr@gov.in</u> and <u>dir16-dgtr@gov.in</u> with a copy to <u>adv13-dgtr@gov.in</u> and <u>consultant-dgtr@nic.in</u>. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
- 24. The known producers/exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
- 25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
- 26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
- 27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <a href="http://www.dgtr.gov.in/">http://www.dgtr.gov.in/</a> for any updated information with respect to this investigation.

#### K. TIME LIMIT

- 28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address <a href="mailto:jd11-dgtr@gov.in">jd11-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:dgtr@nic.in">dir16-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:dgtr@nic.in">dgtr@nic.in</a> within thirty days (30 days) from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
- 29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the present investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.
- 30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

### L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

- 31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
- 32. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
- 33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to show a good cause along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
- 34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out, where indexation is not

- possible, and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
- 35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed in the submissions, within seven days (7 days) from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraph of this initiation notification.
- 37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
- 38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is not satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

### M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

### N. NON-COOPERATION

41. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority